राजस्थान राज्य और ए. एन. आर.

वी.

कुलवंत कौर

25 अप्रैल, 2006

[एस. बी. सिन्हा और पी. पी. नौलेकर, जे. जे.]

राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद सेवा नियम, 1959 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के पद के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक और बेसिक शॉर्ट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट (बी. एस. टी. सी.) पाठ्यक्रम था। उत्तरदाता के पास सिलाई में डिप्लोमा था और उन्हें अस्थायी रूप से ग्रेड-III शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। निदेशक, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के परिपत्र के अनुसरण में जिन अस्थायी शिक्षकों के पास केवल सिलाई में डिप्लोमा था, उनकी सेवाओं को समाप्त करने का निर्देश दिया गया, प्रत्यर्थी की सेवाएं भी समाप्त कर दी गईं। रिट याचिका पर, उच्च न्यायालय ने बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगा दी और निर्देश दिया कि ऐसे शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा जाना चाहिए। इसके बाद, राजस्थान राज्य बनाम श्याम लाल जोशी और अन्य में इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए उन सभी शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त करने का निर्देश दिया गया जिनके पास अपेक्षित योग्यता नहीं थी। प्रत्यर्थी की सेवाएं भी समाप्त कर दी गईं। उन्होंने फिर से एक रिट याचिका दायर की स्थगन आदेश पारित किया गया और वह सेवा में बनी रही। उच्च न्यायालय के एकल पीठ ने दोनों रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने समाप्ति आदेश को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि अपीलार्थी के पास अपेक्षित योग्यता नहीं होने की स्थिति में सरकार उसे प्रशिक्षण देगी, और पूरा होने पर उसकी सेवाओं को नियमित करें। हालाँकि, यह ध्यान नहीं दिया कि 1959 के नियमों को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996, द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें अस्थायी शिक्षक की शैक्षिक योग्यता थी (i) राजस्थान शिक्षा बोर्ड से नई शिक्षा (10 + 2)

योजना के तहत वरिष्ठ माध्यमिक या पुरानी योजना के तहत उच्च माध्यमिक या समकक्ष (ii) बी. एस. टी. सी.। वर्तमान अपीलें।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया :1.1 . उत्तरदाता के पास अपेक्षित योग्यता नहीं थी, इसलिए ऐसे लोगों को सेवा में बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। सिर्फ इसलिए कि प्रत्यर्थी की सेवा की समाप्ति पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों का पालन करते हुए, उन्हें सेवाओं में बने रहने के लिए अनुमति दी गई, यह इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता है कि वह वैध रूप से पद धारण कर रहा था या इस प्रकार, समाप्ति आदेश कानून में बुरा नहीं है। [333 - डी-ई]

1.2 . *एक्टस क्यूरी नेमेनेम ग्रेवबिट* एक प्रसिद्ध उक्ति है। इस प्रकार, अपीलार्थी द्वारा पारित आदेशों को बताए गए आधारों पर उच्च न्यायालय द्वारा रद्द करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता था। उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा प्रत्यर्थी के पास सामान्य शिक्षा के साथ-साथ प्रशिक्षण दोनों बुनियादी आवश्यक योग्यता थी। [333 - एच; 334-ए]

1.3 . यह ऐसा मामला भी नहीं है जहां इक्विटी प्रत्यर्थी के पक्ष में हो। केवल इसलिए कि उसके पक्ष में एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था, इसका मतलब यह नहीं है कि इस तथ्य के बावजूद कि उसके पास आवश्यक योग्यता नहीं थी, उनकी सेवाओं को जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। यहाँ तक कि पुराने नियम भी उनके मामले में लागू नहीं थे। मामला अलग होता, अगर उसने 1994 में बर्खास्तगी का आदेश जारी करने से पहले आवश्यक योग्यता प्राप्त कर ली होती। मान लीजिए, उन्होंने तब तक उसका प्रशिक्षण पूरा नहीं किया था। उस समय भी उनके पास लघु प्रशिक्षण प्रमाण पत्र नहीं था। इस प्रकार, उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था और 1996 में उनके द्वारा योग्यता के कथित अधिग्रहण का कोई महत्व नहीं होगा। [334 - ए-सी]

राजस्थान राज्य बनाम श्याम लाल जोशी और अन्य, **[1994] 1 एससीसी 593 और** *मोहम्मद. सरताज और अन्य बनाम यू. पी. राज्य और अन्य,* **[2006] 1 स्केल 265, पर निर्भर था।**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 694-695/2005 .

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 19.2.2001 से डी. बी. सिविल विशेष अपील सं. 639 / 1995 और 640/1995।

अपीलार्थियों की ओर से अरुणेश्वर गुप्ता और नवीन कुमार सिंह।

प्रतिवादी के लिए मनु मृदुल, अनंत वात्स्य और सूर्यकांत। न्यायालय का निर्णय दिया गया था द्वारा

एस. बी. सिन्हा, जे.- राजस्थान राज्य ने राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम, 1959 (संक्षेप में 'अधिनियम') अधिनियमित की। उत्तरदाता पंचायत समिति, पदमपुर द्वारा 25.11.1983 को ग्रेड-III शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम, 1959 (संक्षेप में 'नियम') द्वारा शासित थीं। उक्त नियमों से जुड़ी अनुसूची नियुक्ति के लिए शर्तों को निर्धारित करती है, जिसमें बुनियादी शैक्षिक योग्यता के साथ-साथ पात्रता मानदंड भी शामिल है,जो नीचे दिए गए हैंः

क्र. सं.	पद का नाम और वेतनमान	प्रतिशत के साथ भर्ती का स्रोत		प्रत्यक्ष भर्ती के लिए योग्यता और अनुभव	पदोन्नति		टिप्पणियां
		प्रत्यक्ष भर्ती	पदोन्नति द्वारा		पद जिससे पदोन्नति के लिए विचार किया	पदोन्नति के लिए योग्यता/ अनुभव	

				जाना है	
5.	प्राथमिक विद्यालय शिक्षक	100%	वरिष्ठ माध्यमिक के आधार	एसटीसी पर	वे अभ्यर्थी जिसके पास 1990 के पूर्व माध्यमिक या उच्च माध्यमिक है वे भी पात्र है

प्राथमिक विद्यालय शिक्षक पद के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता मैट्रिकुलेशन एवं बेसिक शार्ट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट (बीएसटीसी) कोर्स थी। प्रतिवादी की सेवाएँ वर्ष 1984 में समाप्त कर दी गयी, लेकिन उसे अस्थायी आधार पर पुनः नियुक्त किया गया था। निदेशक, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा ने एक परिपत्र जारी कर अस्थायी शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त करने का निर्देश दिया, जिनके पास केवल सिलाई में डिप्लोमा था। उक्त परिपत्र के अनुसार प्रतिवादी की सेवाएँ भी अपीलकर्ता के द्वारा उक्त परिपत्र पर भरोसा करते हुए दिनांक 11.05.1987 के एक आदेश द्वारा समाप्त कर दी गयी थी। उसने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गयी, जिसमें स्थगन आदेश पारित किया गया। उक्त स्थगन आदेश के आलोक में उसे सेवा में बने रहने की अनुमति दी गयी थी। प्रश्न यह है कि क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्य सरकार के अधिकारी स्वयं सहायक शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए नहीं भेज रहे थे, उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय के कुछ निर्देश जारी किये गये थे कि ऐसे शिक्षकों की सेवाएँ समाप्त नहीं की जानी चाहिए, लेकिन, उन्हें अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा जाना चाहिए।

यह प्रश्न कि क्या सिलाई या किसी अन्य शिल्प में राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र को लघु प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र के बराबर माना जाना चाहिए या नहीं, *राजस्थान राज्य बनाम श्यामलाल जोशी एवं अन्य* [1994] 1 एससीसी 593 में इस न्यायालय के विचार के लिए आया था, जिसमें प्रसांगिक नियम जो निम्नानुसार है, देखा गया:

''बेसिक स्कूल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट (बी एस टी सी) के साथ माध्यमिक या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बीएसटीसी के समकक्ष प्रशिक्षण योग्यता''

इस न्यायालय ने अवधारित किया:

''.........एक सामान्य शिक्षक जिसने पूर्ण प्रशिक्षण किया है और वह सभी विषयों को पढ़ाने की स्थिति में है और एक शिक्षक जिसने किसी विशेष शिल्प में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और पढ़ा सकता है, के बीच अंतर किया जाना चाहिए, इसलिए केवल उस विशेष शिल्प को ही ठीक से सीखा सकते हैं। प्रसांगिक नियमों के तहत् प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए बी एस टी सी या राज्य सरकार द्वारा बी एस टी सी के समकक्ष मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण योग्यता होना चाहिए। बी एस टी सी पाठ्यक्रम दो साल का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है, जिसमें विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण दिया जाता है। एन टी सी एक विशेष शिल्प के प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम के बाद आई टी आई द्वारा प्रदान किया जाता है। दिनांक 8 नवम्बर, 1979 के आदेशानुसार, राज्य सरकार ने माध्यमिक विद्यालयों में व्यवसायिक विषयों, कुछ निर्दिष्ठ शिल्प लकड़ी का काम, सिलाई, चमड़े का काम और कताई एवं बुनाई को पढ़ाने के लिए आई टी आई द्वारा दिये गये एन टी सी को मान्यता दी। यह मान्यता केवल उपरोक्त व्यवसायिक विषयों को पढ़ाने तक ही सीमित है। दिनांक 6 अगस्त, 1984 के परिपत्र में, दिनांक 11 दिसम्बर, 1974 के आदेश का संदर्भ दिया गया है, जिसके तहत् राजस्थान राज्य की औद्योगिक परीक्षाओं के प्रमाण-पत्रों को, विद्या भवन, उदयपुर की कला और हस्तशिल्प परीक्षाओं के समकक्ष मान्यता दी गयी थी, और यह निर्देश दिया गया था कि चूंकि विद्या भवन के हस्तशिल्प डिप्लोमा को शिक्षा विभाग द्वारा बुनियादी प्रशिक्षण (बी एस टी सी) मान्यता दी गयी है, राज्य सरकार की औद्योगिक परीक्षा को भी बी एस टी सी के समकक्ष माना गया है। उक्त परिपत्र दिनांक 8 नवम्बर, 1979 के आदेश द्वारा एन टी सी को दी गयी मान्यता की सीमित प्रकृति के विपरीत नहीं है। इसे 7 जनवरी, 1985 के परिपत्र द्वारा स्पष्ट किया गया था, जिसमें यह कहा गया है कि एन टी सी धारकों को माध्यमिक विद्यालयों में औद्योगिक विषय पढ़ाने के लिए मान्यता दी गयी है और एन टी सी धारक उम्मीदवार पंचायत समितियों में शिक्षकों के पद के लिए पात्र नहीं है। दिनांक 6 नवम्बर, 1985 का अंतिम परिपत्र केवल 7 जनवरी, 1985 के पहले परिपत्र में निहित निर्देशों को प्रभावी बनाता है।

इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि प्रमाण पत्रों के व्यवसायिक विषयों को पढ़ाने के संबंध में 8 नवम्बर 1979 के आदेश द्वारा एन टी सी को सीमित मान्यता दी गयी थी और इसके बाद 6 अगस्त 1984, 7 जनवरी, 1985 और 6 नवम्बर 1985 के परिपत्र उस स्थिति को कम नहीं करते हैं। 6 अगस्त, 1984 के परिपत्र को एन टी सी को नयी मान्यता देने के रुप में नहीं माना जा सकता है और इसलिए, 7 जनवरी, 1985 और 6 नवम्बर, 1985 के बाद के परिपत्रों के द्वारा पहले दी गयी मान्यता को वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता है। वचन विबंधन का सिद्धांत लागू नहीं होता है एवं *सुरेश पाल बनाम् हरियाणा* राज्य में इस न्यायालय का निर्णय, जिस पर उच्च न्यायालय ने भी भरोसा किया है, का भी कोई अनुप्रयोग नहीं है।

एन टी सी को प्रदान की गयी सीमित मान्यता के आलोक में एन टी सी धारक सामान्य शिक्षक के रुप में नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं और उन्हें केवल उस शिल्प के शिल्प शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, जिसके लिए उनके पास एन टी सी है। जिस शिल्प के लिए वे एन टी सी रखते हैं, उसके अलावा अन्य विषयों को पढ़ाने के लिए एन टी सी धारक की स्थिति अप्रशिक्षिक शिक्षक से अलग नहीं है। इस न्यायालय द्वारा *आन्ध्र केशरी एजुकेशनल सोसायटी बनाम् निदेशक स्कूली शिक्षा* के मामले में उचित रुप से प्रशिक्षिक शिक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जिसमे यह देखा गया है कि (एस सी सी पृ0 399, पारा 20)

‘‘इसलिए, यह बताने की आवश्कता नहीं है कि शिक्षकों को दक्षता की कठोर जाँच के साथ कठोर प्रशिक्षण से गुजरना चाहिए। वर्तमान की जरुरतों के लिए इसकी अधिक प्रसांगिकता है। कम प्रशिक्षित या निम्न-मानक शिक्षक हमारी शिक्षा प्रणाली के लिए हानिकारक होंगे, यदि हमारे बच्चों के लिए दण्ड नहीं होंगे।¶¶

इस न्यायालय के उक्त निर्णय के आलोक में दिनांक 07.04.1994 के आदेश द्वारा उन सभी शिक्षकों की सेवाएँ समाप्त करने का निर्देश दिया गया था, जिनके पास अपेक्षित योग्यता नहीं थी। यह स्पष्ट नहीं है कि प्रतिवादी को इस आशय का कोई आदेश दिया गया था या नहीं। केवल 31.05.1995 को उसे बर्खास्तगी का आदेश दिया गया था। उसने दुबारा बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक रिट

याचिका जिसे W.P No. 2973/1994 के रुप में चिन्हित किया गया। उसमें स्थगन का अंतरिम आदेश पारित किया गया था। स्थगन के उक्त अंतरिम आदेश के अनुसरण में या उसे बढ़ाते हुए वह सेवा में बनी रही।

अंततः उसकी दोनों रिट याचिकाएँ अर्थात् W.P No. 2973/1994 एवं 1383/87 को उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 22.08.1995 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। प्रतिवादी सं0-1 के द्वारा उसके विरुद्ध लेटर्स पेटेंट अपीलें दायर की और आक्षेपित निर्णय के कारण, उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ ने निर्देश दिया:

''उपरोक्त परिस्थितियों में, हमारी राय है कि अपीलकर्ता, *नीरा जोशी एवं लम्बू सिंह* के मामलों में दिये गये निर्देश का हकदार है। इसलिए, हम बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करते हैं और सरकार को यह निर्धारित करने का निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता के पास योग्यता है या नहीं, उसे सेवा में जारी रखने का अधिकार देता है, और इस निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में कि अपीलकर्ता के पास अपेक्षित योग्यता है, उसे प्रशिक्षण देने का अधिकार देता है जैसा कि अन्य मामलों में किया गय था और प्रशिक्षण के सफल समापन पर उसकी सेवाओं को नियमित किया जाता है। हम निर्देश देते हैं कि राज्य सरकार इस निर्णय की प्राप्ति की तारीख से दो महीने के अवधी के भीतर अपीलकर्ता की योग्यता निर्धारित करेगी और कानून के अनुसार बढ़ेगी।

उच्च न्यायालय ने पाया कि शिक्षकों को संविदा के आधार पर नियुक्तियाँ तो दी गयी है, लेकिन उन्होंने इस बीच योग्यता हासिल नहीं की है। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने यह पाया कि राज्य ने उन शिक्षकों के संबंध में 30.08.2000 को परिपत्र जारी किया जिन्होंने पदोन्नति के उद्देश्य से सेवा प्रशिक्षण प्राप्त किया और व्यवसायिक शिक्षकों के रुप में योग्यता प्राप्त की।

हालांकि उच्च न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि 1959 के नियमों को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें अस्थायी शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित शर्तों में निर्धारित की गयी थी:

क्र. सं.	पद का नाम और वेतनमान	प्रतिशत के साथ भर्ती का स्रोत		प्रत्यक्ष भर्ती के लिए योग्यता और अनुभव	पदोन्नति		टिप्पणियां
		प्रत्यक्ष भर्ती	पदोन्नति द्वारा		पद जिससे पदोन्नति के लिए विचार किया जाना है	पदोन्नति के लिए योग्यता/ अनुभव	
5.	प्राथमिक विद्यालय शिक्षक	100%		(i) राजस्थान माध्यमिक शिक्षाबोर्ड से नयी (10+2) योजना के तहत वरिष्ठ या पुरानी योजना के तहत उचत्तर माध्यमिक या समकक्ष (ii) बी.एस. टी.सी. कोर्स			

यह किसी भी विवाद से परे है कि परिवादी ने सीनियर सैकेण्डरी शिक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। इसलिए, उसे दिनांक 04.12.2003 के एक पत्र द्वारा अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए कहा गया था:

''..........आपका उपरोक्त परीक्षा परिणाम इस शर्त पर घोषित किया गया है कि दूसरे वर्ष के शिक्षक प्रशिक्षण (पत्राचार पाठ्यक्रम) का परिणाम तबतक घोषित नहीं किया जाएगा, जबतक आप माध्यमिक परीक्षा या इससे समकक्ष परीक्षा की न्यूनतम योग्यता उत्तीर्ण नहीं कर लेते हैं।

हालांकि, इस विशेष याचिका के लम्बित रहने के दौरान, उसे प्रशिक्षण से गुजरने का निर्देश दिया गया था और यह विवादित नहीं है कि उसने उसे पूरा कर लिया।

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अरुणेश्वर गुप्ता, यह प्रस्तुत करते हैं कि *श्याम लाल जोशी* (supra) के निर्णय ने और इसके अलावा नियमो में किये संशोधन को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1996 तक, प्रतिवादी के पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के कारण, आक्षेपित निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

दूसरी ओर प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मनु मृदुल का कहना था कि सामान्यता के अधिकार पर उसकी सेवाओं को समाप्त करने का निर्देश नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह एक लम्बे समय तक उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के अनुसार जारी रही थी। यह भी कहा कि बढ़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं, जिन्हें सामान्य स्थिति होने के बावजूद सेवा में बने रहने की अनुमति दी गयी है।

प्रतिवादी की सेवाएँ इस आधार पर समाप्त कर दी गयी थी कि उसके पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं थी। उच्च न्यायालय ने उसके पक्ष में आदेश पारित किया। ऐसे आदेश इस आधार पर पारित किये गये थे कि राज्य शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजने के मामले में उनके बीच भेदभाव कर रहा था; ऐसे सेवाकालीन प्रशिक्षण की अनुमति है। हालांकि, इस मामले में हमें ऐसी स्थिति की कोई चिन्ता नहीं है।

यहाँ प्रतिवादी के पास अपेक्षित योग्यता नहीं थी। केवल इसलिए कि प्रतिवादी की सेवा समाप्ति के आदेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के अनुपालन में, उसे सेवाओं में जारी रखने की अनुमति दी गयी थी, हमारी राय में, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि वह वैद्य रुप से पद पर थी या बर्खास्तगी का आदेश कानूनन गलत था। श्याम लाल जोशी (supra) के बाद, यह विवादित नहीं है कि शिक्षकों के पास लघु प्रमाण-पत्र आवश्यक होना था। चूँकि प्रतिवादी के पास ऐसी कोई आवश्यक योग्यता नहीं थी, इसलिए उसे सेवा में बने रहने का कोई कानूनन अधिकार नहीं है। बर्खास्तगी के आदेश 1987 और 1994 दोनों में पारित किये गये, जो रिट याचिका सं0 1383/87 (दिनांक 11.05.1987 के आदेश के

विरुद्ध होने के कारण) और रिट याचिका सं0 2973/94 (दिनांक 31.05.1994 आदेश के विरुद्ध होने के कारण) इस प्रकार कानून की दृष्टिकोण में बुरा नहीं माना जा सकता।

मोहम्मद. सरताज और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, [2006] 1 स्केल 265, में इस न्यायालय ने स्पष्ट रुप से माना है कि पद पर बने रहने का अधिकार प्राप्त करने के लिए आवश्यक शिक्षक योग्यता का होना अनिवार्य है। इस संबंध में यह नहीं कहा जा सकता है कि कानूनी अधिकार किसी कर्मचारी द्वारा केवल इसलिए प्राप्त किया गया है, क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था।

एक्टस क्यूरी नेमेनेम ग्रेवबिट एक प्रसिद्ध उक्ति है। इस प्रकार अपीलकर्ता द्वारा पारित आदेश को उसमें बताये गये आधारों पर उच्च न्यायालय को रद्द करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहूँचा कि प्रतिवादी के पास सामान्य शिक्षा के साथ-साथ प्रशिक्षण के संबंध में बुनियादी आवश्यक योग्यता थी।

यह ऐसा मामला भी नहीं है कि जहाँ इक्विटी प्रतिवादी के पक्ष में है, केवल इसलिए कि प्रतिवादी के पक्ष में एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था, इसका मतलब यह नहीं होगा कि इस तथ्य के बावजूद उसके पास अपेक्षित योग्यता नहीं थी, उसकी सेवाओं को जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। उसके मामले में पुराने नियम भी लागू नहीं थे, मामला अलग होता, अगर उसने 1994 में बर्खास्ती का आदेश जारी होने से पहले अपेक्षित योग्यता हासिल कर ली होती। माना जाता है कि, उसने तबतक अपना प्रशिक्षण पूरा नहीं किया था। उस समय भी उसके पास लघु प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र नहीं था। इस प्रकार, उसकी सेवाएँ उचित रुप से समाप्त कर दी गयी है और मामले को देखते हुए 1996 में उसके द्वारा कथित योग्यता हासिल करने का कोई महत्व नहीं होगा।

उपर्युक्त कारणों से, आपेक्षित निर्णयों को बराकरार नहीं रखा जा सकता, उन्हें रद्द किया जाता है, अपीलों को स्वीकार किया जाता है।

कोई खर्च नहीं।

एन 0 जे0 अपीलों को स्वीकार किया गया।

Rohit Kumar